वकालत फरीकेन उपस्थित पीलसीब
अधिकारी महोदय मख्यालय से बाहर
है मिसल दिनांक 9.7.25 को पेश है

पत्रावली में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं

9/6/25

20/6/25 वकील वादी के निवेदन पर हाजरानी आज पत्र से संबंधित मूल वाद आज दिनांक को पेशी में लिया जाकर खारिज किया गया है अतः उक्त प्रार्थना पत्र का औचित्य नहीं होने तथा से वकील वादी के आगे कार्यवाही नहीं चाहने के निवेदन पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है पत्रावली कैलाश कुमार होकर उपरत्त काम की जाकर दाखिल दफ्तर हो

Jayendra